

प्रार्थना पत्र विद्वा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

न०मु० ५५ / सन् २०२४

Reader
20/6/24



न्यायालय

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
सुजानगढ़

विक्रमसिंह राठौड़

बनाम

कैलाश कंवर आदि

अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र

श्रीमान जी,

उपरोक्त अनुवानी प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 20.06.2024 नियत है। उक्त पत्रावली अभी तलबी अप्रार्थीगण जैरकार है। प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को हटवाना चाहता है व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को विद्दो करना चाहता है। प्रार्थी स्वयं द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया है व अप्रार्थीगण की ओर से अभी तक कोई उपस्थिति आया नहीं है। प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर विद्दो करना चाहता है इसलिए प्रार्थी की स्थिति को देखते हुए उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को विद्दो करने की अनुमति देना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी के विधिक अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए उक्त प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर विद्दा (खारिज) करने की कृपा करें। श्रीमानजी की अति कृपा होगी।

दिनांक : 18.06.2024

प्रार्थी

विक्रम सिंह राठौड़ पुत्र उदय सिंह राठौड़
जाति राजपूत उम्र ब्यस्क निवासी ग्राम ठरड़ा
तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु (राज.)